न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या –146/2015 (अपील)

1. कन्हैयालाल आत्मज गोविन्दा आयु 50 वर्ष
2. प्रहलाद आत्मज गोविन्दा आयु 45 वर्ष
3. रामकरण आत्मज गोविन्दा आयु 40 वर्ष
4. सुखदेव आत्मज गोविन्दा आयु 60 वर्ष
5. हरचन्दा आत्मज गोविन्दा आयु 50 वर्ष
   जाति गुर्जर, निवासीगण माला फाटक, स्टेशन रोड कोटा (राज0)

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
2. सचिव जरिये नगर विकास न्यास कोटा । (राज0)

–रेस्पोडेन्ट.

अपील बनाराजगी आदेश इन्तकाल नं0 46, दिनांक 03.08.2001 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा, अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री शंभूदयाल विजय, अभिभाषक नगर विकास न्यास कोटा**
2. **श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक**

निर्णय

दिनांक– 13.01.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम लाडपुरा में नामा0 सं0 46 में दिनांक 03.08.2001 को आदेश पारित किया कि "राजस्व शिविर पं0 स0 लाडपुरा दिनांक 03.05.2001 मुताबिक आदेश विशेषाधिकारी यू0आई0टी0 व जांच आई0एल0 आर0 नामान्तकरण स्वीकार है ।"

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2015 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है कि अदालत मातहत ने बिना अपीलांट्स को बुलाये और बिना कोई सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये हुये मनमाने तौर पर आराजी ख0नं0 191/247 रकबा 0.48 हे0 वाके ग्राम लाडपुरा तह0 लाडपुरा को इन्तकाल नं0 46 द्वारा सिवायचक यू0आई0टी0 के नाम दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । विवादित आराजी ख0नं0 191/247 की रकबा 0.48 हे0 अपीलांटान के पिता गोविन्दा जी के खातेदारी की है और गोविन्दा जी का स्वर्गवास हुये अर्सा करीब 10 वर्ष हो चुके है और अपीलांटान गोविन्दा जी के पुत्र जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से उनकी मृत्यु उपरान्त से

जिला कलेक्टर
कोटा

लगातार आज तक भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है और उक्त भूमि का फौती इन्तकाल खुलवाकर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी के रिकार्ड व कब्जे आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और न ही ग्राम वासियान से किसी प्रकार की पूछताछ या आपत्तियां ही ली गई और मनमाने तौर पर उक्त भूमि का इन्तकाल द्वारा यू0आई0टी0 के खाते दर्ज करने में भारी कानूनी त्रुटि की है । आज भी मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांटान का कब्जा बतौर मालिक चला आ रहा है, और नगर विकास न्यास का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है, और न ही किसी के खातेदारी की भूमि को इस प्रकार से न तो सिवायचक दर्ज किया जा सकता है ओर न इन्तकाल खोलकर नगर विकास न्यास के खाते दर्ज किया जा सकता है और यदि इस सम्बन्ध में कब्जे व रिकार्ड आदि की जांच की जाती और अपीलांटान को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वे आवश्यक रूप से अपनी आपत्तियां अदालत मातहत में पेश करते, किन्तु ऐसा नही कर मनमाने तौर पर इन्तकाल खोलकर अदालत मातहत ने कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आर्बीट्रेरी है और न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है । उक्त आदेश बाबत सर्व प्रथम जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर 25.8.2015 को हुई, जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र अदालत मातहत में पेश किया और 15.9.2015 को आदेश की नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब आज अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है जो जानकारी की तिथि से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित । वकील अपीलांट अनुपस्थित, अपीलांट एवं वकील अपीलांट का इन्तजार किया किन्तु अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित नहीं होने पर राजहित को ध्यान में रखते हुये वकील रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर वकील रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रस्तुत अपील लगभग 15 वर्ष बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील नामा0 सं0 46 दिनांक 3.8.2001, प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी) नगर विकास न्यास कोटा के निर्णय दिनांक 6.6.2001 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 'बी' /धारा 63 रा.का. अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश की अनुपालना में खोला गया है, तथा 90 बी की कार्यवाही स्वयं खातेदार अपीलांटान के पिता गोविन्दा द्वारा उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लेने से कराई गई है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील निराधार है, नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं है, बिना यू0आई0टी0 के आदेश दिनांक 6.6.2001 को चुनौति दिये जैर अपील नामान्तकरण सं0 46 निरस्त नहीं किया जा सकता है । नामान्तकरण प्रकिया में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील आधारहीन होने से अपील खारिज फरमाई जावें ।

2

जिला कलेक्टर
कोटा

5. हमने वकील रेस्पोडेन्ट की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया '। उक्त जेर अपील नामा0 सं0 46 ग्राम लाडपुरा दिनांक 03.08.2001 के विरूद्व दिनांक 29.09.2015 को पेश की गई है । रेस्पोडेन्ट के कथन से हम सहमत है कि उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा मियाद अवधि में नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा विलम्ब को माफ करने हेतु कोई ठोस आधार भी प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है । अतः लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. उक्त नामान्तकरण प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी) नगर विकास न्यास कोटा के निर्णय दिनांक 6.6.2001 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 'बी' /धारा 63 रा.का. अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश की अनुपालना में खोला गया है, तथा 90 बी की कार्यवाही स्वयं खातेदार अपीलांटान के पिता गोविन्दा द्वारा उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लेने से कराई जाना प्रतीत होता है तथा उक्त आदेश दिनांक 6.6.2001 की पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 46 ग्राम लाडपुरा में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । जैर अपीलनामान्तकरण प्रकिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है, ऐसी स्थिति में नामा0 सं0 46 ग्राम लाडपुरा दिनांक 03.08.2001 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा